हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1970GO1005276

लाभांश वितरण नीतियाँ

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार

(30 मई, 2018 को आयोजित 595वीं बैठक में कंपनी के बोर्ड से यथा अनुमोदित)

I. पृष्ठभूमि

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 8 जुलाई, 2016 की अधिसूचना के अनुसार सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (द्वितीय संशोधन) में विनियम 43ए सम्मिलित किया, जिसके अंतर्गत लाभांश वितरण नीति का प्रतिपादन अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वेबसाइट में प्रकट करने के लिए बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर (प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की गई गणना) श्रेष्ठ पांच सौ सूचीबद्ध संस्थाओं की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त विनियम के अंतर्गत यह भी प्रदान किया गया है कि लाभांश वितरण नीति में निम्नलिखित मानदंड सम्मिलित किए जाएंगे:

क) परिस्थितियां जिनमें सूचीबद्ध संस्थाओं के शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकते है या नहीं ;

ख) लाभांश की घोषणा करने के दौरान इन वित्तीय मानदंडो को ध्यान में रखा जाएगा;

ग) लाभांश की घोषणा करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले बाह्य और आंतरिक कारक;

घ) संचित आय को उपयोग में लाने के लिए नीतियाँ; और

ङ) शेयर के विभिन्न वर्गों के संबंध में किन मानदंडो को अपनाया जाना चाहिए ।

विनियम में यह भी प्रदान किया गया है कि सूचीबद्ध संस्था लाभांश की घोषणा मानदंडो के अतिरिक्त उपरोक्त खंड (क) और (ङ) को प्रस्तावित करती हैं या इन अतिरिक्त मानदंडो में या लाभांश वितरण नीति में सम्मिलित किसी भी मानदंड में परिवर्तन प्रस्तावित करती है, तो इसके लिए इन्हें वार्षिक रिपोर्ट और वेबसाइट में तर्क के आधार पर इन बदलावों को प्रकट करना होगा। बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर सूचीबद्ध श्रेष्ठ 500 संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य सूचीबद्ध संस्थाएँ अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वेबसाइट पर लाभांश वितरण नीति को ऐच्छिक आधार पर प्रकट कर सकती है ।

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) के इक्विटी शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड में 19 मई, 2017 को सूचीबद्ध

किया गया । कंपनी ने सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुपालन में लाभांश वितरण नीति का निर्माण किया है ।

II. उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य लाभ, भविष्य वृद्धि योजना से तत्काल आवश्यक भुगतान संतुलित करने के उपरांत नियमित लाभांश भुगतान के माध्यम से कंपनी और शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि करना है ।

III. नीतिगत संरचना

कंपनी पर एक सीमा तक लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सेबी द्वारा जारी किए गए विनियमों, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम का पूंजी पुनर्गठन पर जारी दिशानिर्देश, वित्त मंत्रालय / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश और अन्य दिशानिर्देशों के अनुरूप नीतियाँ बनायीं है । इन प्रावधानों में सभी अनुवर्ती संशोधन तथ्यता, नीति पर लागू होंगे । नीति विभिन्न प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए घोषणा / लाभांश की सिफ़ारिश के संबंध में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय का विकल्प नहीं है ।

IV. लाभांश

कंपनी शेयरधारकों से, कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार प्राप्त लाभ में से लाभांश / अंतरिम लाभांश की घोषणा कर सकती हैं ।

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का निदेशक मंडल अंतरिम लाभांश की घोषणा कर सकता है । कंपनी सामान्य वार्षिक बैठक में वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने के उपरांत, वित्तीय वर्ष में केवल एक बार, अंतिम लाभांश की घोषणा कर सकती है । कंपनी यदि अंतिम लाभांश की घोषणा नहीं करती है, तो वर्ष के दौरान दिया गया अंतरिम लाभांश, यदि हो, तो इसे सामान्य वार्षिक बैठक में अंतिम लाभांश माना जायेगा ।

V. परिस्थितियां जिनमें संस्थाओं के शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकते हैं या नहीं

लाभांश भुगतान से संबंधित निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि इससे कंपनी के शेयरधारकों में लाभ की राशि का वितरण और व्यापार में संचित करने के लिए लाभ की राशि का निर्धारण किया जाता है । निर्णय के लिए दोहरे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को लाभ प्रदान करने और लाभ संचित करते हुए भविष्य में विकास सहयोग प्रदान करने के लिए उपयुक्त पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है ।

कंपनी नियमित रूप से अपने शेयरधारकों को लाभांश भुगतान करती है और भविष्य में भी इसी प्रकार से इसकी घोषणा करने की अपेक्षा करती है, जबतक कि कंपनी अपर्याप्त लाभ या न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त पूंजी की अनुपलब्धता या अन्य बाह्य या आंतरिक कारक के कारण लाभांश घोषित करने में असमर्थ न हो ।

VI. लाभांश घोषणा / सिफारिश करने के लिए बोर्ड की ओर से विचारणीय आंतरिक और बाह्य कारक / वित्तीय मानदंड

क) आंतरिक कारक

(i) वर्ष के दौरान अर्जित लाभ:

कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 123 के अनुसार, कंपनी उसी वर्ष में हुए लाभ के अतिरिक्त कंपनी अन्य किसी भी वित्तीय वर्ष या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास देने के उपरांत विगत वित्तीय वर्ष / वर्षो में कंपनी के लाभ से लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया जायेगा ।

(ii) पूंजी के प्रति परिसंपत्ति में लगा जोखिम भार:

हडको, आवास वित्त कंपनी होने के नाते, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित स्तर पर पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात को बनाए रखना आवश्यक है । तदनुसार लाभांश घोषणा करने के लिए पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात के अपेक्षित आंकड़ो को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित आंकड़ो का उल्लंघन न करे ।

(iii) **कंपनी की वार्षिक कारोबार:**

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को कर उपरांत लाभ का कम से कम 30% न्यूनतम वार्षिक लाभांश या वार्षिक आय का 5 % देना

होगा, जो भी विस्तृत क़ानूनी प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित संबंधित अधिकतम लाभांश से उच्चतम हो, सरकारी कंपनी होने के नाते, इन दिशानिर्देशो या इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी किए गए अन्य अनुवर्ती संशोधन का अनुपालन करना आवश्यक है ।

हडको ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 27.05.2016 के कार्यालय ज्ञापन में वर्णित निर्धारित नियमों के स्थान पर वितरण योग्य लाभ की उपलब्धता के अनुसार लाभांश भुगतान के लिए छूट मांगी । निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/4/2016- 13th जनवरी, 2017 नीति के अनुसार सूचित किया गया कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में सरकारी निवेश के प्रबंधन पर सशक्त समिति की 09.01.2017 को निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पाया गया कि "कंपनी द्वारा अर्जित लाभ से सांविधिक कटौती की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, समिति ने नोट किया कि दिशानिर्देश के अंतर्गत कंपनी द्वारा कटौती करने की आवश्यकता नहीं है'

उपरोक्त के अतिरिक्त, कंपनी अन्य विभिन्न वित्तीय मानदंडो को भी शामिल कर सकती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हो सकती हैं:

1) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ
2) मौजूदा उधार, आगे भावी उधार लेने क्षमता और उधार की लागत
3) लाभांश कर दर और व्यय सहित लाभ पर कर
4) सांविधिक / अन्य रक्षित और भावी देयताओं को पूरा करने के लिए निर्मित प्रावधानों में अंतरित
5) बोर्ड द्वारा उपयुक्त माने गए अन्य कोई मानदंड

ख) बाहरी कारक

(i) आर्थिक परिवेश

आर्थिक और व्यापारिक मंदी या अनिश्चितता की स्थिति में, कंपनी अर्थव्यवस्था में इन अनिश्चितताओं / मंदी के दौर से उभरने के लिए अपने लाभ का एक भाग सुरक्षित रख सकती है ।

(ii) बाज़ार स्थिति / सरकारी नीतियाँ

फण्ड और इसके उधार, फण्ड की लागत के उपलब्ध होने के सम्बन्ध में बाज़ार स्थितियां, सरकारी मौद्रिक नीतियाँ ऐसे कारक हैं जिन पर लाभांश संस्तुति करते समय विचार किया जाना चाहिए ।

(iii) सांविधिक प्रावधान और दिशानिर्देश:

कंपनी लाभांश की घोषणा से सम्बंधित कम्पनीज अधिनियम की ओर से बनाये गए प्रतिबन्धों का पूरा ध्यान रखती है । साथ ही सरकारी कंपनी होने के नाते, हडको लाभांश घोषणा के सम्बन्ध में निवेश तथा लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गए दिशानिर्देशों का पालना करेगी ।

मंडल की ओर से उपयुक्त माने गए अन्य कारक

VII. संचित राशि का उपयोग

कंपनी के ज्ञापन में बताये गए कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संचित राशि का उपयोग किया जाएगा, इस प्रकार कंपनी के प्रचालनों और व्यापार की वृद्धि में योगदान दिया जाता रहेगा ।

VIII. शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले मानदंड

मंडल की ओर से यथा संदर्भित, यथा निर्धारित, अन्य तथ्य या उपरोक्त बताए गये सभी सम्बंधित परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष प्राप्त लाभांश उपलब्ध करने की सिफ़ारिश के लिए यह नीति मंडल को प्रमुख दिशानिर्देश उपलब्ध करवाएगी । हालांकि कंपनी के हित में, नीति के किसी तथ्य में संशोधन के परिणामस्वरूप या किसी तथ्य के शामिल होने पर मानदंडो के आधार पर लाभांश की घोषणा कंपनी की वेबसाइट के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रस्तुत की जाएगी ।

वर्तमान में हडको के पास शेयरों की एक ही श्रेणी अर्थात् इक्विटी शेयर है । जब कभी शेयरों की अन्य श्रेणी जारी होगी, तो तदनुसार नीति संशोधित की जाएगी ।

IX. परिवर्तन/संशोधन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस नीति में उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के बदलाव करने के लिए अधिकृत हैं, तथापि ये बदलाव विनियम तथा अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार हो ।